

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक : 18 नवम्बर, 2015

विषय : उत्तर प्रदेश में 'मॉडल सिटीज' के विकास हेतु कार्य योजना।

महोदय,

शहरीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण हेतु शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सस्टेनेबल बनाना अपरिहार्य है। इस उद्देश्य से प्रदेश के सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए न्यूनतम समय में शहरों के स्वरूप में अधिक से अधिक सुधार किये जाने के उद्देश्य से सम्यक् विचार-विमर्श के उपरान्त उत्तर प्रदेश में "मॉडल सिटीज" के विकास हेतु एक कार्य-योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना की आवश्यकता एवं उद्देश्य, योजना के कम्पोनेन्ट्स, वित्त पोषण एवं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

1. उद्देश्य एवं आवश्यकता :

शहरीकरण के फलस्वरूप प्रदेश सरकार के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां यथा- अक्रिमण, अनाधिकृत कालोनियों एवं मलिन बस्तियों में वृद्धि, मौलिक सुविधाओं का अभाव, ट्रैफिक कन्जेशन, अव्यवस्थित शहरी विस्तार, अफोर्डेबल हाउसिंग का अभाव, अस्वच्छता, तथा पर्यावरणीय समस्याएं, आदि उत्पन्न हो रही हैं, जो न केवल शहरी नागरिकों के जीवन को अपितु सम्पूर्ण पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। अतः जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं 'सस्टेनेबल' बनाना अपरिहार्य है और इस हेतु स्वदेशीय 'एप्रोच' अपनाए जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश सरकार एवं इसके अभिकरणों के संसाधन सीमित होने के कारण एक ऐसी कार्य-नीति की आवश्यकता है, जिसके क्रियान्वयन में कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए न्यूनतम समय में शहरों के स्वरूप में अधिक से अधिक सुधार हो सके। तन्त्रम में प्रदेश के ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों को 'मॉडल सिटीज' के रूप में विकसित करने हेतु कार्य-योजना तैयार की गई है, जिसके अधीन चयनित शहरों के लिए अल्पकालीन कार्य-योजनाएं तैयार कर कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित की जाएंगी।

2. शहरों का चयन:

इस योजनान्तर्गत उपयुक्त शहरों का चयन मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा।

3. योजना के कम्पोनेन्ट्स:

3.1 यातायात एवं परिवहन व्यवस्था में सुधार:

- (1) शहर की मुख्य सड़कों को अक्रिमणमुक्त करना एवं आवश्यकतानुसार उनका चौड़ीकरण।

- (II) पैदल यात्रियों को तीव्रगामी ट्रैफिक से पृथक करने हेतु फुटपाथ का निर्माण और पैदल संचलन के प्रोत्साहन हेतु सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण का सृजन।
- (III) पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट-ओवरब्रिज/अन्डरपास का निर्माण तथा खतरनाक मोड़ों/कर्व पर गार्डरेल की व्यवस्था।
- (IV) साईकल चालकों के सुरक्षित आवागमन हेतु साईकल ट्रैक्स का निर्माण तथा रोड सेफ्टी हेतु साईकल को 'ट्रान्सपोर्ट मोड' के रूप में प्रोत्साहन देना।
- (V) शहर के मुख्य चौराहों का सुधार तथा आवश्यकतानुसार रोटरी, ट्रैफिक आइलैण्ड/सेन्ट्रल वर्ज/स्पीड ब्रेकर, आदि का निर्माण।
- (VI) ट्रैफिक को दिशा प्रदान करने, 'सेग्रीगेशन' एवं 'चैनेलाइजेशन' हेतु 'लेन/स्टॉप लाइन मार्किंग' एवं ट्रैफिक साइनेज, आदि की व्यवस्था।
- (VII) महत्वपूर्ण स्थानों/कार्य-केन्द्रों के समीप बस-स्टॉप की व्यवस्था।
- (VIII) शहर की आन्तरिक सड़कों एवं अन्य प्रतिबन्धित स्थानों पर अनाधिकृत पार्किंग पर नियन्त्रण तथा उपयुक्त स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था।
- (IX) ट्रैफिक कन्जेशन कम करने हेतु 'नॉन-व्हीकलर स्ट्रीट्स/जोन्स' का चिन्हीकरण।
- (X) 'वेन्डिंग जोन्स' का चिन्हीकरण और सड़कों/पार्कों/अन्य सार्वजनिक स्थलों से 'वेन्डर्स' को चिन्हित जोन्स में स्थानान्तरित करना।
- (XI) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु पार्किंग व्यवस्था, रैम्प, फुटपाथ, जनसुविधाओं का प्राविधान।
- (XII) 'ट्रैफिक मैनेजमेन्ट' यथा-'वन-वे स्ट्रीट' घोषित करना, पार्किंग प्रबन्धन, ट्रैफिक सिग्नल्स की व्यवस्था, आदि।
- (XIII) बस 'कनेक्टिविटी' में सुधार।

3.2 अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण/सुधार:

- (I) ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार हेतु नालों/नालियों की सफाई, सड़कों पर 'पॉट-होल्स' की मरम्मत एवं जल-भराव वाले क्षेत्रों का सुधार।
- (II) सुनिश्चित विद्युत-आपूर्ति व्यवस्था एवं 'अन्डरग्राउण्ड केबलिंग'।
- (III) कूड़े के एकत्रीकरण हेतु उपयुक्त स्थानों पर डस्टबिन्स स्थापित करना।
- (IV) कूड़े का सेग्रीगेशन, एकत्रीकरण, स्थानान्तरण एवं 'रिसाइकलिंग/शहर के बाहर निस्तारण।
- (V) विद्युत लाइनों एवं विद्युत पोल्स के एलाइनमेन्ट को व्यवस्थित करना।
- (VI) महत्वपूर्ण सड़कों पर स्ट्रीट लाइटिंग व्यवस्था तथा इस हेतु सोलर स्ट्रीट लाइटिंग एवं एल.ई.डी. के उपयोग को प्रोत्साहन।
- (VII) सार्वजनिक स्थलों पर जन सुविधाओं यथा-वाशरूम/शौचालय, डस्टबिन, बैठने हेतु बेंच, पेयजल व्यवस्था, आदि का प्राविधान।
- (VIII) शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर 'वाई-फाई' 'कनेक्टिविटी' प्रदान करना।

3.3 शैक्षिक एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार:

- (I) शिक्षण संस्थाओं यथा-तर्सरी/प्राइमरी एवं अन्य उच्चतर विद्यालयों का जीर्णोद्धार।
- (II) चिकित्सा सुविधाओं (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरी, अस्पताल, आदि) का सुधार एवं सम्वर्द्धन।

3.4 पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार:

- (I) शहर के अन्दर रिक्त/अप्रयुक्त भूमियों पर पार्क एवं ग्रीन बेल्ट/सिटी फॉरेस्ट का विकास।
- (II) पार्क एवं हरित क्षेत्रों का सुधार, सौन्दर्यीकरण एवं वृक्षारोपण।
- (III) 'वाटरबॉडीज', तालाब/पोखर, आदि का संरक्षण एवं सुधार।

- (IV) प्रदूषण नियन्त्रण हेतु बैट्री चालित रिक्शा / टैम्पो / ऑटो को प्रोत्साहन।
(V) रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा जल की रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन।

3.5 हैरिटेज स्थलों का सुधार एवं संरक्षण:

- (I) शहर के ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के आस-पास अक्रिमण निवारण, सफाई, सौन्दर्यीकरण, पार्किंग व्यवस्था तथा जन सुविधाओं का प्राविधान।
(II) स्थानीय कला एवं सस्कृति का संरक्षण एवं प्रोत्साहन (यथा-पॉटरीज़, कांच उद्योग, कार्पेट वीविंग, हैण्डलूम, इत्र उद्योग, आदि)।

3.6 अफोर्डेबल हाउसिंग की आपूर्ति:

- (I) राज्य सरकार द्वारा घोषित अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अधीन संचालित समाजवादी आवास योजना का शासकीय अभिकरणों (विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / आवास एवं विकास परिषद् / नियंत्रक प्राधिकारी) तथा निजी क्षेत्र के माध्यम से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप स्थानीय नागरिकों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास उपलब्ध हो सकेंगे तथा अनाधिकृत कालोनियों एवं मलिन बस्तियों के प्रसार पर नियन्त्रण लगेगा।
(II) शहरी निर्धनों के लिए लो-कॉस्ट हाउसिंग / आसरा योजना का क्रियान्वयन।

3.7 जनसमस्याओं की सुनवाई एवं निस्तारण—स्थानीय स्तर पर उचित व्यवस्था स्थापित करना।

3.8 जनसुरक्षा—समुचित पुलिस चौकियों / स्टेशनों की व्यवस्था तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेन्स सिस्टम की स्थापना।

3.9 जागरूकता अभियान—जनता को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण, जल एवं विद्युत संरक्षण तथा यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाना।

4. डी.पी.आर. हेतु नोडल एजेन्सी :

चयनित शहरों की मैपिंग एवं डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मण्डलीय कार्यालयों द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के निर्देशन में किया जाएगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी विभाग / संस्थाओं से सम्बन्धित विभिन्न कम्पोनेंट को सम्मिलित करते हुए समेकित डी.पी.आर. तैयार किया जायेगा, जिसमें मैपिंग एवं डी.पी.आर. तैयार किये जाने में लगने वाली लागत का भी विवरण सम्मिलित होगा। मैपिंग एवं डी.पी.आर. तैयार किये जाने में लगने वाली लागत की धनराशि का भुगतान कार्य योजना के विभिन्न कम्पोनेंट्स के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी विभागों / संस्थाओं द्वारा अपने से सम्बन्धित कम्पोनेंट के लिए आगणित लागत के सापेक्ष समानुपातिक रूप से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को किया जायेगा।

5. योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग एवं कार्यदायी संस्थाएं :

योजना के सुचारु एवं सफल क्रियान्वयन हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा तथा इस योजना का क्रियान्वयन निम्न संस्थाओं / अभिकरणों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा:—

- 5.1 विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
5.2 आवास एवं विकास परिषद्।
5.3 सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5.4 स्थानीय निकाय।
5.5 लोक निर्माण विभाग।
5.6 विद्युत कारपोरेशन लि.।
5.7 गृह विभाग।
5.8 पर्यटन विभाग।

5.9 यू.पी.एस.आर.टी.सी.।

5.10 चिकित्सा विभाग।

5.11 शिक्षा विभाग।

6. वित्त पोषण व्यवस्था:

कार्य-योजना के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स के क्रियान्वयन हेतु वित्त पोषण के स्रोत एवं उत्तरदायी विभाग/संस्थाएं निम्नवत् होंगी :-

क्र. सं.	कम्पोनेन्ट	वित्त पोषण का स्रोत	विभाग
1.	पार्कों का विकास	विकास प्राधिकरण/ आवास एवं विकास परिषद की अवस्थापना विकास निधि/ आवास विभाग का विभागीय बजट	विकास प्राधिकरण/ आवास एवं विकास परिषद एवं शहरी नियोजन विभाग
2.	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटिंग	विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की अवस्थापना विकास निधि/ आवास विभाग का विभागीय बजट	विकास प्राधिकरण/ आवास एवं विकास परिषद/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
3.	फुटपाथ एवं साईकल ट्रैक्स का निर्माण	विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की अवस्थापना विकास निधि/ आवास विभाग का विभागीय बजट	विकास प्राधिकरण/ आवास एवं विकास परिषद/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
4.	बस स्टॉप/स्टैण्ड	यू.पी.एस.आर.टी.सी. फण्ड	यू.पी.एस.आर.टी.सी./ परिवहन विभाग
5.	अण्डरग्राउण्ड केबलिंग	ऊर्जा विभाग का विभागीय बजट	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. / ऊर्जा विभाग
6.	हैरिटेज/सार्वजनिक भवनों हेतु पहुंच मार्ग का जीर्णोद्धार एवं लाइटिंग	विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की अवस्थापना विकास निधि/ आवास विभाग का विभागीय बजट	जिलाधिकारी/ विकास प्राधिकरण/ आवास एवं विकास परिषद/ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
7.	बस सेवा कनेक्टिविटी	यू.पी.एस.आर.टी.सी. फण्ड	यू.पी.एस.आर.टी.सी./ परिवहन विभाग
8.	राजकीय अस्पतालों का जीर्णोद्धार/डॉक्टर्स की व्यवस्था	चिकित्सा विभाग का विभागीय बजट	चिकित्सा विभाग
9.	राजकीय विद्यालयों का जीर्णोद्धार/शिक्षकों की व्यवस्था	बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग का विभागीय बजट	बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग
10.	लो-कॉस्ट हाउसिंग/आसरा	नगर विकास विभाग का विभागीय बजट	नगर विकास विभाग/स्थानीय निकाय
11.	बैटरी चालित रिक्शा	नगर विकास विभाग का विभागीय बजट	नगर विकास विभाग/स्थानीय निकाय
12.	कूड़ा-निस्तारण	नगर विकास विभाग का विभागीय बजट	नगर विकास विभाग/स्थानीय निकाय

7. योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :

- 7.1 चयनित शहरों में इस योजना का क्रियान्वयन 2 वर्षों (2015-16 एवं 2016-17) की अवधि में सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7.2 कार्य योजना के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- 7.3 योजना की डी.पी.आर. के अनुमोदन एवं क्रियान्वयन में समन्वय तथा स्थानीय स्तर पर प्रगति के अनुश्रवण हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति का गठन किया जायेगा :-

(I)	सम्बन्धित मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
(II)	सम्बन्धित जिलाधिकारी	सदस्य
(III)	विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (जहां प्राधिकरण हो)	सदस्य
(IV)	आवास एवं विकास परिषद् का प्रतिनिधि	सदस्य
(V)	स्थानीय निकाय के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
(VI)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
(VII)	उ.प्र. विद्युत् कारपोरेशन लि. का प्रतिनिधि	सदस्य
(VIII)	गृह विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
(IX)	चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
(X)	शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
(XI)	यू.पी.एस.आर.टी.सी. का प्रतिनिधि	सदस्य
(XII)	पर्यटन विभाग का प्रतिनिधि (जहां आवश्यक हो)	सदस्य
(XIII)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का प्रतिनिधि	सदस्य-संयोजक

- 7.4 राज्य स्तर पर अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में निम्नवत् अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया जायेगा :-


(I)	मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन	अध्यक्ष
(II)	सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ.प्र. शासन	सदस्य
(III)	सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
(IV)	सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
(V)	सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
(VI)	सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
(VII)	सचिव, ऊर्जा विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
(VIII)	प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.आर.टी.सी.	सदस्य
(IX)	सचिव, चिकित्सा विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
(X)	सचिव, शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
(XI)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	सदस्य-संयोजक

- 7.5 योजना का डी.पी.आर. मण्डलायुक्त के अनुमोदनोपरान्त संस्तुति सहित नोडल विभाग (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) को प्रेषित किया जायेगा, जिसे नोडल विभाग द्वारा राज्य स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित अन्तर्विभागीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अन्तर्विभागीय समिति की सहमति/स्वीकृति के उपरान्त नोडल विभाग द्वारा डी.पी.आर. की प्रति सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों को अपने विभागों/अभिकरणों से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार बजटीय व्यवस्था कराते हुए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित किया जायेगा।

7.6 राज्य स्तर पर अनुश्रवण हेतु गठित अन्तर्विभागीय समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाएगी और प्रगति रिपोर्ट मुख्य सचिव के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत की जाएगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्य योजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

175/2015/3684
संख्या- (1)/आठ-1-2015, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ऊर्जा/गृह/पर्यटन/नगर विकास/परिवहन/चिकित्सा/बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने विभाग से संबंधित तदनुसार आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.आर.टी.सी., लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नीति को समस्त सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
10. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से


(पनधारी यादव)
सचिव